भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव’

'Land acquisition impact on the lives of the farmers'

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग में एम.फिल उपाधि हेतु

लघु - शोध प्रबंध

सत्र- 2014-15

शोधार्थी

रुपाली वर्मा

पंजीयन संख्या - 2014/03/210/018

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

(संस्कृति विद्यापीठ)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीयविद्यालय)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय , गांधी हील्स, वर्धा- 442005

घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र

मै प्रमाणित घोषित करती हु कि **सुश्री रूपाली वर्मा** के द्वारा **एम.फिल. अहिंसा एवं शांति अध्ययन** (संस्कृति विद्यापीठ) सत्र-2014-15 की उपाधि के किए **" भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव**'' विषय पर प्रस्तुत शोध-कार्य मौलिक एवं कार्य स्वतंत्र कार्य है तथा इसे अंशत: या पूर्णत: इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान में किसी उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है

प्रस्तुत शोध कार्य को प्रमाणित करते हुये मूल्यांकन हेतु अग्रेषित किया जाता है

शोध निर्देशक

डॉ. मनोज कुमार राय

सहायक प्रोफ़ेसर

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

शोधार्थी

रूपाली वर्मा

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

2014/03/210/018

विभागाध्यक्ष

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र

मै प्रमाणित घोषित करती हु कि **सुश्री रूपाली वर्मा** के द्वारा **एम.फिल. अहिंसा एवं शांति अध्ययन** (संस्कृति विद्यापीठ) सत्र-2014-15 की उपाधि के किए **" भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव**'' विषय पर प्रस्तुत शोध-कार्य मौलिक एवं कार्य स्वतंत्र कार्य है तथा इसे अंशत: या पूर्णत: इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान में किसी उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है

प्रस्तुत शोध कार्य को प्रमाणित करते हुये मूल्यांकन हेतु अग्रेषित किया जाता है

शोध निर्देशक

डॉ. मनोज कुमार राय

सहायक प्रोफ़ेसर

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

शोधार्थी

रूपाली वर्मा

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

2014/03/210/018

विभागाध्यक्ष

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग

आभार

आज मैं अपने को एक शोधार्थी होने पर गर्व महसूस कर रही हूँ. इस स्तर तक पहुंचाने में सहायक रहे, मेरे पूज्य माता-पिता तथा परिवार के तमाम उन सदस्यों का मैं सर्वप्रथम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. जिनकी इच्छा और इरादा ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, आज भी जब वो हमसे बहुत दूर होते हुए भी, हमें हमेशा अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करने का काम करते रहे हैं. जिनके आर्शीवाद और शुभकामनाओं से मैं सफलतापूर्वक अपने शोध कार्य को पूरा कर पायी हूँ.

पुनः मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे शोध निर्देशक डॉ मनोज कुमार राय जी का जिनके सफल निर्देशन में मेरा यह शोध कार्य पूरा हो पाया. उन्होंने मेरी जिज्ञासा को समझते हुए 'भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव' विषय पर लधु-शोध प्रबंध तैयार करने की अनुमति प्रादान की. विषय की प्रासंगिकता का भविष्य में न केवल हमारे व्यक्तिगत हित में बड़ा काम आने वाला है. बल्कि इसके अनुभव का लाभ मेरे द्वारा देशहित में भी होगा. साथ-ही-साथ मैं अपने विभागाध्यक्ष के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो न केवल एक अभिभावक के रूप में सदा नजर आये. बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक भी रहे, विभाग के सभी शोधार्थीयों के साथ-साथ मुझे भी उनका समय-समय पर निर्देशन का लाभ प्राप्त होता रहा है.

मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने विभाग के एसोशिएट प्रोफ़ेसर डॉ. राकेश कुमार मिश्र एवं डॉ चित्रामाली जी का जिन्होंने समय-समय पर शोध की गुणवत्ता को लेकर मार्गदर्शन किया है.

मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी उन सभी मित्रों का जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शोधकार्य में सहयोग मिला है. जिसमें खुशबू शेख, समाज कार्य पी-एच.डी. का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिसके प्रेरणा से एम. फिल. करने का सोच पाई तथा नीरज जी, आफ़ताब हुसैन,पुरुषोत्तम, नेपाल पायेड., शशि गौड़, ज्योति राय, दिव्या, आनंद वर्मा एवं मिथुन के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिसके सहयोग से यह शोध पत्र को पूरा कर पाई हूँ.

रुपाली वर्मा

अनुक्रमणिका

पृष्ठ क्रम

भूमिका

अध्याय एक : भूमि अधिग्रहण एक परिचय : 1-18

1 1.भूमि अधिग्रहण -अर्थ एवं परिभाषा

1 2.भूमि अधिग्रहण क्या है

1 3.भूमि अधिग्रहण का इतिहास

1 4.भूमि अधिग्रहण और लोंगों की स्थिति

अध्याय दो : लोकतंत्र, भूमि अधिग्रहण एवं किसान आन्दोलन 19-33

2.1 लोकतंत्र में किसानों की भूमिका

2.2 भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव

2.3 किसान आन्दोलन और भूमि अधिग्रहण का अन्तःसंबंध

अध्याय तीन : भूमि अधिग्रहण बिल का सफर 34-47

3.1 प्रारम्भिक भूमि अधिग्रहण बिल का परिचय

3.2 2015 में पारित भूमि अधिग्रहण बिल का परिचय

3.3 संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल

अध्याय चार : भूमि अधिग्रहण पर मतभेद 48-55

4.1 भूमि अधिग्रहण पर विभिन्न पार्टियों की राय

4.2 भूमि अधिग्रहण पर किसानों तथा सरकार के बीच विभिन्न विषयों पर मतभेद

अध्याय पांचवा : आकड़ा संकलन शोध के अनुसार

5.1 शोध कार्य क्षेत्र

उपसंहार

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ सूची

भूमिका

आदि काल से ही भारत के आर्थिक स्वरूप का केंद्र कृषि रहा है, लगभग 60% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, जो भारत के गाँव में रहते हैं| चूँकि भारत गाँव का देश था और आज भी है| इसलिए भारत एक कृषि तथा गाँव प्रधान देश है| भारत गांवों में बसता है परन्तु भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् शहरीकरण में तेजी आने के कारण नगरीय आबादी भी बढ़ती जा रही है| भारत की अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ी तो जरुर है| लेकिन दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जब चरमराने लगती है तो वैसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था के स्थिर रहने का बड़ा कारण भी गाँव की कृषि आधारित यह अर्थव्यवस्था ही है|

सामान्यत: यह देखा गया है कि 'तथाकथित' विकसित देशों में शहरी क्षेत्र का प्रभुत्व बना रहता है| जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में ग्रामीण क्षेत्र प्रधान होता है| भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में अर्थव्यवस्था की बागडोर ग्रामीण क्षेत्रों को ही संभालनी होती है| इसी क्षेत्र में उन परिस्थितियों का भी निर्माण होता है जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में समर्थ होती हैं|

कृषक समाज की अवधारणा :

भारत की जनसँख्या का लगभग तीन चौथाई भाग गाँव में ही निवास करता है| राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है जोकि किसी अन्य क्षेत्र के योगदान से अधिक है| देश से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं का लगभग एक चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होता है| देश की योजनाओं में किये जाने वाले कुल व्यय के एक चौथाई भाग को ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाता है| उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है|

भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र को समझने के लिए सामान्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निम्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है –

1. कृषि क्षेत्र
2. गैर कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र :

कृषि क्षेत्र में वे सभी लोग शामिल किये जाते हैं जिनके जीवन निर्वाह का साधन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खेती है तथा इसमें कृषि से सम्बंधित सभी कार्यों को सम्मिलित किया गया है| खेती-बाड़ी अथवा कृषि अब मात्र साधन नहीं रह गई है|

वर्तमान समय में भूमि अधिग्रहण काफी चर्चा में है और यह किसानों के जीवन को काफी प्रभावित करता है| भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 में बना था जो ब्रिटिशों द्वारा बनवाया गया था तथा उसी प्रावधान पर ये बिल चला आ रहा है| 1994 में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था लेकिन पूरे 100 वर्ष लग गये एक बिल में थोड़ा संशोधन करने में, 1994 के बाद इसमें थोड़े-थोड़े परिवर्तन शुरू हो गये तथा 2013 में इस भूमि अधिग्रहण को पुर्नवास और पुन:स्थापन अधिनियम 2013 (एल.ए.आर.आर.लार.एक्ट) बना कर इसमें न्याय संगत मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया | मुकम्मल पुर्नवास इस कानून का मूल आधार है | बिना किसान की इच्छा के कोई भी उसकी जमीन के किसी भी हिस्से को किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता है | सरकारी और पब्लिक भागीदारी के जिन भी उपक्रमों के लिए जमीन चाहिए होगी, उसका अधिग्रहण वहाँ के 70 फीसदी लोगों की रजामंदी के बाद ही हो पायेगा|

12 वीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक आज़ादी के बाद देश के करीब छ: करोड़ लोग विकास परियोजना के नाम पर विस्थापित किये गये जिसमें 40 % लोग आदिवासी थे |

सम्पत्ति की मांग और अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में कानून बना सकती हैं| ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून हैं, जो अपने-अपने अधीन भूमि अधिग्रहण करते हैं, किन्तु भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है | उत्तरप्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी हंगामा हुआ था | मौजूदा कानून के इस प्रावधान में सरकार राष्ट्र हित में किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है | किसानों की जमीन पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है | जमीन उनसे ले ली जाती है तथा उन्हें उसका मुआवजा भी ठीक से नहीं मिलता है| इससे उनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है |

ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिनियम 1894 को प्रशासित करने वाली नोडल संघ सरकार होने के नाते समय-समय पर कथित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन हेतु प्रस्ताव पारित करता है |

मूल प्रश्न यह है कि किसान की उस जमीन का जिस पर उसकी आगे और पीछे कई पीढ़ियां आश्रित हैं, उसका क्या कोई मुआवजा हो सकता है ? क्योंकि मुआवजा तत्कालीन आर्थिक मूल्य पर ही निर्धारित होता है| वहीं दुसरी तरफ विस्थापन विकास की त्रासदी है और एक तरह से यह एक 'सांस्कृतिक नरसंहार' भी है| किसानी परम्परा और अर्थव्यवस्था का क्षरण सिर्फ एक सांस्कृतिक या आर्थिक तंत्र का नुकसान ही नहीं है बल्कि, यह पारिस्थितिकीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के मौजूदा खतरे के लिहाज से भी बेहद चिंताजनक पहलु है| यह अध्ययन इन्ही संदर्भो के आधार पर तथ्यों को विश्लेषित करने की एक कोशिश है|

शोध का परिचय

1.1परिचय

प्रस्तुत शोध का विषय 'भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव' है. यह शोध एम. फिल. उपाधि के आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु विकास एवं शांति अध्ययन विभाग में डॉ. मनोज कुमार राय के निर्देशन में किया गया है.

1.2 परिकल्पना :

1. समता-समानता आधारित पुर्नसमाजिक संरचना के लिए भूमि अधिग्रहण ठीक नहीं है।

2. भारत जैसे देश के शहरी एवं ग्रामीण विवादों का मूल कारण भूमि-विवाद है जो आज भी सामंतवादी प्रथा का द्योत्तक है।

3. भूमि अधिग्रहण से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं में भेद-भाव को बढ़ावा मिलता है।

1.3 उद्देश्य :

भूमि अधिग्रहण के बाद उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करते हुए तथा इसके निदान के दिशा में आम जनता की राय को जानना व समझना मेरा उद्देश्य होगा. भूमि अधिग्रहण पर बनाए गए कानूनी प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा विश्लेषण करना ताकि बस्तुस्थिति सामने आये.

1.4 शोध प्रविधि

इस शोध कार्य में मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों में अवलोकन,साक्षात्कार प्रविधि व वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा. कुछ स्थानीय प्रयोगों का भी अध्ययन किया जायेगा. यह शोध अध्ययन विश्लेषणात्मक व तुलनात्मक होगा.

प्रस्तावित शोध प्रारूप :

प्रस्तावित शोध में मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा किया जायेगा. जिसमे साक्षात्कार तथा अध्ययन तथा वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली का अध्ययन किया जायेगा. कुछ स्थानीय प्रयोगों का भी अध्ययन करेंगे. यह शोधार्थी द्वारा विश्लेषणात्मक व तुलनात्मक होगा.

1.5 शोध कार्य क्षेत्र

मेरा शोध कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास कुछ गांवों का है। ये गाँव लखनऊ के पास के ही हैं ,ये गाँव ईश्वरी खेड़ा, चिरौदा बाग, खलीलाबाद है। लखनऊ में ही इन गांवों के किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन शुरू किया है। इनका आंदोलन 11 जुलाई 2011 से शुरू हुआ है। यहाँ पर आंदोलन पिछले 5 सालों से चल रहा हैं। किसान यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं तथा यहाँ पर भारी संख्या में किसान एकत्रित होते हैं। पिछले 5 सालों से ये लोग लगातार सुचारु रूप से कर रहे हैं। किसानों के इस संगठन का नाम "भारतीय किसान यूनियन" (अवध) क्षेत्र है। इनके अध्यक्ष राम सिंह यादव है। राम सिंह यादव इस संगठन का संचालन कर रहे हैं।

यहाँ पर जीतने भी किसान हैं उन सभी किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है तथा उन्हें जमीन के मुताबिक मुआवजा भी नहीं मिला है। इन्हीं सब मांगों को लेकर वह अपना आंदोलन कर रहे हैं।

सरकार से ये यही चाहते है कि इनकी जमीन इनको वापस मिल जाए, क्योंकि जिस तरह इनकी भूमि थी मुआवजा भी जमीन की कीमत से बहुत कम मिला है। इन लोगों के पास न तो जमीन रह गई न कोई रोजगार। ये लोग कृषि कार्य छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं तथा मजदूरी या अन्य कोई कार्य कर रहे है भूमि अधिग्रहण से ये लोग नाखुश है। ये लोग बिलकुल नहीं चाहते की इनकी जमीन अधिग्रहित की जाए। सरकार से ये किसान चाहते है कि इनका मुआवजा इनको पूरा मिले।

1.6 साहित्य पुनरावलोकन

जब कोई शोध किया जाता है तो उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है, अध्ययन के द्वारा ही पाता चलता है की इस विषय से संबंधित अब तक कितना अध्ययन हो चुका है| व किस प्रकार हुआ है और मेरा शोध इससे किस प्रकार भिन्न है | इसके जरिये यह भी जानने

का प्रयास किया जाता है की इस से हमारे द्वारा क्या नया किया जा सकता है | इन सरे प्रश्नों के उत्तर के लिए, म्रेरे द्वारा जो साहित्य पुनरावलोकन किया गया है वह इस प्रकार है- पटनायक,किशन, किसान आंदोलन दशा और दिशा राजक इस पुस्तक में अरुंधति राय ने इस बात को विस्तृत रूप से समझाया है की किस प्रकार गरीबों को उनकी जमीन से बेदखल करके वहां बड़े बड़े बंधो का तथा धूलभरी खदानों का निर्माण कराया जा रहा है| घर बार छोड़ कर सड़कों पर फुटपाथों पर सहारा लेना पड़ा |

पृष्ठ संख्या 14 में लेखिका ने कहा है की अगर इन चपटी पहाडियों को नष्ट कर दिया गया तो इन्हें ढकने वाले जंगल भी नष्ट हो जाएंगे | यदि हाल उन नदियों और स्त्रोतों का भी होगा, जो इनसे निकलते है और नीचे मैदानों को सीचते है | इनके साथ डोंगरिया कोंड भी नष्ट हो जायेंगे और साल वे हजारों लाखों आदिवासी भी, जो वनों से ढके भारत के ह्रदय स्थल में रहते है- |

पृष्ठ संख्या 17 – आज अगर आदिवासियों ने हथियार उठा लिए है तो इसलिए क्योंकि वह सरकार जिसने इन्हें हिंसा और उपेक्षा के अलावा और कुछ नही दिया, इनकी आखरी चीज भी छीन लेना चाहती है वह है इनकी जमीन |

स्वामी सहजानंद और उनका किसान आंदोलन, प्रधान अवधेश नई किताब, दिल्ली इस पुस्तक में

अवधेश प्रधान ने स्वामी सहजानंद ने किसानों की स्थिति को लेकर बात की तथा वे उनको लेकर कितना चिंतित रहे है| स्वामी सहजानंद किसानों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते थे | सहजानंद एक गृह त्यागी तथा युवा सन्यासी थे तथा वे किसान नेता के रूप में सामने आयें | इस पुस्तक में बहुत से बातों

का उल्लेख है जिनमे जमीनदारी प्रथा तथा सामंतों द्वारा किसानों को क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ी किसानों के जीवन से जुडी हुई बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है |

राजकमल मल प्रकाशन,नई दिल्ली

इस पुस्तक में किशन पटनायक ने किसानो की दशा तथा उनकी आर्थिक विषमताओं का और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की क्या स्थिति है | भारत का बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में बसता है और जीविका के लिए कृषि तथा पशुओं पर आश्रित है| खेती किसानों के सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है| किशन पटनायक इस आधुनिक युग के प्रमुख समाजवादी चिंतक और कर्मी है और किसान आंदोलन के प्रबल समर्थक है | इन्होने इस आंदोलन को समझा तथा इसको एक वैचारिक दिशा देने की कोशिश की है| इन्होने किसानों की समस्याओं को करीब से समझा तथा जाना है |

दैनिक भास्कर :-

इसमें देविंदर शर्मा का एक लेख था जो विशेष संदर्भ – आर्थिक विकास में भूमि अधिग्रहण की प्रासंगिकता के बारे में लिखा गया था | इसमें उन्होंने लिखा की जमीन न होने की उपलब्धता विकास के रास्ते में आ रही है जमीन न होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अटके पड़े है वही सरकार रुके हुए प्रोजेक्ट की सूची देने में नाकामयाब रही |एक टीवी चैनल द्वारा की गयी जाँच में पता चला की सिर्फ पांच राज्यों में ही अधिगृहित जमीन का 45 फीसदी बगैर इस्तेमाल का पड़ा है जिसमे उड़ीसा के गोपालपुर में टिस्को के स्टील प्लांट के लिए 1995 में 3,799 एकड़ जमीन को अधिगृहित किया गया जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया |

दैनिक भाष्कर :-

संपादकीय से लिया गया ये लेख है जिसमे भूमि अधिग्रहण विधेयक पास कराने की जद्दोजहद के बारे में चर्चा किया गया है की अब संसद में इसको पास करने के लिए इसके प्रावधानों में 9 बदलावों की पेशकश की है इनमे सबसे अहम शायद यह पेशकश है की किसानों की कम से कम 70 फीसदी सहमति के प्रावधान से जिन परियोजनाओं को छुट दी जाएगी, उनमे सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल नही है|

दैनिक भाष्कर:-

संजय कुमार (डायरेक्टर सी.एस.डी.एस.) इनका लेख किसान जो अपनी खेती को छोड़ कर शहर में जाकर नौकरी करना चाहते है उन पर विशेष है | इसमें इन्होने लिखा है भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गर्मागर्म चर्चा को देखकर लगता है की भारत के किसानों की यह अकेली समस्या है| इसमें कोई संदेह नहीं है की बिल के प्रावधानों पर चर्चा होनी चाहिए और किसानों के हित की बात की गयी है |

सर्वेसे पता चला है की करीब एक तिहाई किसानों को व्यक्तिगत या कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले पांच वर्षो से कर्ज लेना पड़ रहा है | सिंगुर और नंदीग्राम से निकले सवाल थे पुस्तक महाश्वेता देवी एवं अरुणकुमार त्रिपाठी द्वारा संपादित व: वाणी प्रकाशन द्वारा 2007 में प्रथम संस्करण मुद्रित हुआ है.

1 प्रस्तुती लेखिका द्वारा आदिवासियों भूमिहीन हुए किसानों व लोगों की अवस्थाओं को मजबूती से उठाकर सामाजिक पटल पर रखा है. इसमें इनका सहयोग अरुण कुमाकर त्रिपाठी द्वारा भी किया गया है. सिंगुर और नंदीग्राम से जितने सवाल निकले है उनका समाधान पूंजीवादी साम्यवादी दोनों दायरों में संभव होता नहीं दिखाई देता है. और यह हो भी नहीं सकता है. क्योंकि दोनों घटनाएँ पूंजीवादी

और साम्यवादी नीतियों के अवैध संबंधों की बचाव से पैदा हुए है. नंदीग्राम में हो रहे भूमि अधिग्रहन में सरकार तथा जनता के बिच मतभेद का उजागर किया गया. प. बंगाल के सरकार पूंजीपतियों का सहयोग करके जनता तथा किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहीं है. सर्कार भी अपना सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना रही कि भूमि की जाने के बाद लोगों की स्थिति क्या होगा. वानमोर्चा सरकार सिंगुर में गैर क़ानूनी ढंग से भूमि का अधिग्रहण की है.

(2) यह पुस्तक किशन पटनायक की पुस्तक किसान आन्दोलन दशा और दिशा – सुनील द्वारा सम्पादित व् राजकमल प्रकाशन द्वारा मुद्रित है.

पटनायक की यह पुस्तक भारतीय किसान के जोवन के हर पक्ष को समेटते हुए उसके सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जीवन की व्याख्या करता है. पटनायक एक समाजवादी चिन्तक तथा किसानों के शुभ चिन्तक रहे. उन्होंने किसानों की समुदायों को करीब से समझा है तथा किसानों के आन्दोलनों को बखूबी दर्शाया है. किसान जिस समस्या से गुजर रहे थे उनका जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबत आती जा रही है तो उन सब से निपटने के लिए उनको संगठित होना बहुत जरुरी है और संगठित होकर एक सस्थ कार्यों तथा आन्दोलनों को किया जा सकता. उसी बात पर विशेश्ह बल दिया गया है. किसानों को उसमें हर तरह से देखा गया है कि उसका सामाजिक स्थिति कैसे है. किसानों को अपने हक़ की लड़ाई लड़नी होंगी उसके लिए उनकों जागरूख होना पड़ेगा.

(5) किसान कैसे लड़ते है – स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखी और ग्रन्थ शिल्पी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित – इस पुस्तक में सहजानान्दा जी ने किसानों के द्वारा की जाने वाली अपने अधिकार की लड़ाई को उभरा है. उसमें किसानों द्वरा अपने जमीं फसल को लेकर जो जमीदारी से सघर्ष हुआ है. उसको स्पष्ट किया गया है. स्वामी सहजानंद सरस्वती नै अपना पूरा जीवन किसान

तथा किसान आन्दोलनों को समर्पित किया है. किसानों ने लड़ा भी है. और जीता भी है. में उनके अपने हक़ की जंग है. उसमें उनके संघर्ष तथा हक़ की लड़ाई का वर्णन है.

(6) प्रो. रामबक्ष की यह पुस्तक प्रेमचंद्र और भारतीय किसान – वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है. रामबक्ष जी ने अपनी इस पुस्तक में प्रेमचंद का किसानों के रति लगाव तथा स्नेह को दर्शाया गया है. प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किसान को विशेष महत्व दिया है. इस पुस्तक में बिद्रोश काल में किसानों की स्थिति का वर्णन है. भारतीय किसान की स्थिति तथा समस्याओं को दर्शाया गया है कि किस तरह अंगेज शासक तथा भारतीय जमीनदार दोनों मिलकर किसानों का शोषण करते थे. प्रेमचंद ने किसानों को किस तरह समझा है कि अपने साहित्य में किसानों को जगह दी है. किसानों की समस्या संवेदना तथा मर्या को समझा है.

(3) भूमि सुधार और ग्राम विकास गुल्ली बाबा पब्लिशिंग हॉउस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मुक्त विश्वविद्यालयों के पथाक्रमों के लिए लिखी गई है. इसमें भूमि सुधार और ग्राम विकास में भूमि सुधार से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों, उसकी ऐतिहासिक पृष्टभूमि और वर्त्तमान प्रस्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है. उसमें भूमि से सम्बन्धित एक्ट नियम आदि को विस्तार पुवक बताया गया है.

पत्रिका _

प्रतियोगिता दर्पण – सितम्बर माह (२०१५) संपादक महेंद्र जैन. पुस्तक पत्रिका मेरे शोध कार्य का आवश्यक अंग रही. जिसमें वाद विवाद का अध्याय मुख्यत: भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर आधारित था जिसके द्वारा मेरा शोध कार्य उपयुक्त तथ्यता व् संक्षिप्त की जानकारी से परिपूर्ण रहा.

कानिकल _

अप्रील 2015 अर्धवार्षिकी पत्रिका एन एन ओझा द्वारा संपादन. उस पत्रिका में भूमि अधिग्रहण बिल पर लेख आया था जो मेरे शोध कार्य को करने में मेरा सहयोग किया.

फ़िलहाल – अप्रैल 2015 में प्रकाशित सम्पादक प्रीति सिन्हा. उस प्रतिका में विजय कुमार आर्य का लेख आया था जो मेरे शोध कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ. उसका शीर्षक खेती में सकट : कारण और निदान है. उसमे किसानों तथा उनकी जमीन तथा उससे जुड़ी हुई बातों को बहुत ही अच्छे देश ढंग से प्रस्तुत किया गया है.

निति मार्ग :- मई २०१५ में प्रकाशित संपादक, जुयेत वर्मा. उस पत्रिका में किसानों से जुड़े हर मुददों पर प्रकाश डाला गया है. इस पत्रिका के लेखों से मुझे काफी सहायता मिली. मैंने किसानों से जुड़े काफी अनहुए पहलुओं को समझा तथा महसूस किया. जो मेरे शोध के लिए विशेष लाभदायक रहा.

(3) अरुन्धती राय की पुस्तक कठघरे में लोकतंत्र जितेंदु कुमार द्वारा अनुवादित व संपादक नीलाभ है. प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के विमित्र पहलुओं पर चर्चा की है. जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों व उसके मिलने के सोच के फासत्ने का निगमन को व्याख्यापित करता है. आज हमें पृखी को बचाने के लिए एक दीर्धकत्मिक दृष्टी की जरुरत है. क्या ये सरकारों ऐसा कर सकती है. जिनका अस्तित्व ही प्रात्कालिक, रोहन परक, अल्पकालिक लाम पर निर्भर हो ? क्या लोकतंत्र जो हमारी अल्पकालिक आशाआ और प्रथानाओं का संरक्षक और हमारे लोभ – लालच – भरे सपनों का पोषक है, मानव जाती का आखिरी मरहला साबित होगा. ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर लेखिका द्वारा मजबूर किए जाते है. जो आज पूरे समाज के लिए आवश्यक है.

(4) अवधेश प्रधान की प्रस्तुत स्वामी सहजानंद और उनका किसान आन्दोलन प्रकाशन नयी किताब है. डॉ अवधेश प्रधान की यह पुस्तक स्वामी सहजानंद और उनके किसान आन्दोलन का इतिहास ,

आख्यान और विश्लेषण ऐसी सरल सुबोध शैली में प्रस्तुत करती है कि यह किसान आन्दोलन नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को सुबोधित करती है. भारत में संगठित किसान आन्दोलन के अग्रणी नायक की जीवन गाथा के साथ -2 उनके साथ के नायको की संस्मरण गाथा भी है. जिसमे सुन्दर देहातों में सहजानंद के बिहड़ दौरों के रोमाचंक बयान है.

इनके द्वारा १९२९ में बिहार प्रदेश किसान सभा की नींव डाली, जमींदारी उन्मूलन की आवाज उठाई और बकश्त्र आन्दोलन का ऐसा संग्राम छेड़े जिसमे सदियों के सोए किसान इतिहास के नायक बनकर उभरे और उन्होंने बढ़िया, रेवडा, भंझागावा,अयवारी हितौली और साड़ा में भारतीय किसान आन्दोलन की शानदार मिसाले कायम की.

(7) आधुनिक भारत एस.के.पाण्डे द्वारा लिखित पुस्तक व प्रयोग एकेडमी द्वारा प्रकाशित है. प्रस्तुत पुस्तक सिविल सर्विसेज तैयारी पर आधारित है इस पुस्तक में दस अध्ययन है. जिसमे मेरे स्वर निम्न जाति, मजदुर संघ तथा किसान आन्दोलन अध्ययन का अध्ययन में शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण है. जिसमे निम्न जाति आन्दोलन में सत्य शोषण समाज ज्यूतिबा फुले द्वारा व डॉ भीमराव आबेदकर द्वारा अनेक प्रयास महात्मा गाँधी, शाह जी महाराज वे दक्षिण भारत में निम्न जाती सुधार में अरब्बीपुरम आन्दोलन जस्टिस आन्दोलन आत्मा सम्मान आन्दोलन, नायर सर्विस सोसायटी वाथ्कूम सत्याग्रह गुरुवापुर सत्याग्रह आदि. मजदुर संघ आन्दोलम जिसमे नील आन्दोलन, पावना विद्रोह 1873-76 दक्कन विद्रोह 1875 ई. इसके आलबा प्रमुख्य बिस्बी सदी के कृषक आन्दोलन जिनमे मालावार का मोपला विद्रोह संयुक्त प्रांत का किसान आन्दोलन एका आन्दोलन बकाष्ट किसान संघर्ष 1928 ई. बिजौलिया आन्दोलन, बकाष्ट किसान संघर्ष 1946-47 तेभागा आन्दोलन तेलंगाना का किसान आन्दोलन,वर्ली आन्दोलन 1945 पुनर्पा एवं वायलार का संघर्ष तथा आखिल

भारती किसान संगठन इत्यादि की जानकारी मेरे द्वारा प्रक्पट की गयी. जो मेरे शोध को नई दिशा देने में सहायक हुयी.

प्रस्तावित शोध को पूरा करने के लिए विषय से संबन्धित पुस्तकों, ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा गूगल के विभिन्न लिंक के सहयोग से तथ्य संकलन का किया गया है. इसमें समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम बना, जिससे शोध विषय से जुड़े सूचनाओं और घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकी है.

1.1 **भूमि अधिग्रहण का परिचय:-**

भूमि अधिग्रहण को सरकार की एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा यह भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है, ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवज़े के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन होता है । आमतौर पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य प्रकार का नहीं होता है, ना ही भूमि के बंटवारे के अनिच्छुक स्वामी पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भारत में अत्यंत प्राचीन प्रक्रिया है । इसके अंतर्गत भूमि को अधिग्रहीत करके उसका उपयोग किया जाता है। जिसमें सड़क निर्माण, रेलवे ट्रैक शापिग माल, स्वास्थ केंद्र आदि बनावाए जाते है। भूमि अधिग्रहण का इतिहास 125 साल पुराना है। अंग्रेजों के समय ही कानून को बनाया गया था। 1894 में ये कानून बनाया गया था जिसके अंतर्गत लोंगों से जमीने लेकर समाज को विकासशील बनाने का कार्य किया गया।

उपसंहार

महात्मा गाँधी ने भी कहा है-

"विकास ऐसा करो कि प्रकृति और मानवता का शोषण न हो, शोषण के बल पर हुआ विकास शास्वत शाश्वत विकास नहीं हो सकता, ऐसा विकास कभी न कभी विनाश ही होगा I"

मेरा शोध विषय 'भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर प्रभाव है I' मैंने अपने शोध कार्य में यह पाया की भूमि अधिग्रहण का किसानों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है I

मैंने अपने शोध दोरान पाया की सभी किसान भूमि अधिग्रहण की जानकारी रखते है उनमे से सभी की जमीन अधिग्रहित की गई है.

भूमि अधिग्रहण बिल में जो भी संशोधन किये गये है .किसान उनसे बिलकुल भी सहमत नहीं है. वर्तमान में सरका जो भी संशोधन क्र रही है. उसके विषय में भी किसानो को पूर्ण जानकारी भी है.जो भी जानकारी है वो उससे असंतुष्ट हैं। किसान उतने जागरूक तो हैंकि उनको किसान आंदोलनों के बारे में जानकारी भी है तथा उसमे वह शामिल भी होते है। किसानो की जमीन अधिग्रहीत हो जाती है परन्तु उनको पहले से कोई सूचना नहीं रहती है कि उनकी जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। भूमि के अधिग्रहण कर ली गई है। किसान ये बिलकुल भी नहीं चाहते की उनकी जमीन अधिग्रहीत की जाए। परन्तु सरकार बिना उनकी मर्जी के दमनकारी नीति के तहत उनकी जमीन का अधिग्रहण का रही है। जबसे किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है उनकी पारिवारिकस्थिति बहुत खराब हो गई है।किसान कर्ज तथा बेरोजगारी से त्रस्त हो गए है।

किसानों की भूमि जाने से उनके पास रोजगार की भी समस्या खड़ी हो गयी है। कर्ज, बेरोजगारी काफी कुछ समस्याएंउनके सामने खड़ी हैं | सरकार ने उन्हें जो मुआवजा राशि दिया है वो जमीन की कीमत से बहुत कम है जो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है |

मुआवजा राशि के समाप्त होने पर उनके परिवार की आर्थिक , सामाजिक शैक्षिक स्थिति पर ही बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है|

भूमि अधिकरण जो सरकार करा रही है उसके बदले में किसान या तो अपनी जमीन ही वापस चाहते है या उन्हें मुवावजे के रूप में जमीन के बदले जमीन ही दी जाए| सरकार से यही मांग कर रहे है की उन्हें जमीन ही जाये |

भूमि अधिकरण बिल का इतिहास तो बहुत पुराना है इस कानून को अंग्रेजो ने बनाया तथा इसी के अधर पर किसानों की भूमि को अधिग्रहित किया जाता था | आजादी के कई साल बाद इसी कानून के अधर पर कार्य होता है लगभग १०० साल के बाद इस कानून में विद्रोह किया गया तो मजबूर होकर सरकार को इस पर विद्रोह संशोधन करना पड़ा. 2013 में संशोधन किया गया उसके पश्चात् 2014 में हुआ। पुनः 2015 में फिर से संशोधन किया गया जिसमे 9 नियमो को आधारित किया गया।

परन्तु आज उतने संशोधन होने के बाद भी किसान वर्ग सर्कार से खुश नहीं है।और सरकार ने जो भी संशाधन किया है अपने को फायदे में रखकर। किसान वर्ग उससे पूर्णता असंतुष्ट है। इस भूमि अधिग्रहण बिल को राजनीति का मुददा बना क्र रखा जा रहा है. संशोधन तो हो रहे है परन्तु किसान के हित में ध्यान में न रख कर।

एन डी ए सर्कार की भूमि अधिग्रहण अध्यादेश उद्योगोंमुखी और आमिर हितेषी बिल है। यह बिल जनतंत्र विरोधी, पर्यावरण विरोधी और किसान विरोधी भी है। इसलिय हम लोगो को विकास की प्रचलित अवधारणा को बदलने की जरूरत है वैकल्पिक विकास जन हितैषी और खेतीहर जमीन का गैर कृषि कार्यो में उपयोग न हो बल्कि बंजर भूमि का सिर्फ जरुरी गैर-कृषि कार्यो में उपयोग हो।

कार्ल मार्क्स ने भी कहा था-

“कानून अपने आप में लोगों की जमीन चुराने का एक हथियार बन गया है I”

भारतीय कानून तथा भूमि अधिग्रहण बिल के सन्दर्भ में मार्क्स की टिप्पणी सत्य साबित हो रही है I

कार्य क्षेत्र- भारतीय किसान यूनियन (अवध प्रांत) लखनऊ

(प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह यादव से साक्षात्कार करते हुये।)

भारतीय किसान यूनियन आंदोलन स्थल (अवध प्रांत) लखनऊ

किसानों के साथ बातचीत करते हुये

बाबूखेड़ा, लखनऊ के किसान आंदोलन करते हुये।